**न्या० सिविल जज(जू०डि०)/जे०एम० अनूपशहर, बुलन्दशहर।**

वाद संख्या 59 सन 2026

वेदप्रकाश शर्मा.....बनाम..... लोधी राजपूत विद्यालय।

**10.07.2026**

पत्रावली पेश हुई। वादी की ओर से इस आशय का प्रार्थना पत्र इस आशय का दिया गया है कि वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध योजित किया था। दावा दायर करते समय कुछ फार्मल डिफेक्ट उत्पन्न हो गये, जिनका संशोधन से पूर्ति होना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी अपने वाद को वापस कर नया मूल वाद दायर करना चाहता है। इस प्रकार वादी को उसके द्वारा दायर मूल वाद को वापस किये जाने की याचना की गयी है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद वादी द्वारा विवादित भूमि के संबंध में अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु योजित किया गया था। यदि वादी को वर्तमान त्रूटिपूर्ण वाद को वापिस कर नया वाद दायर करने की अनुमति दी जाती है, तो किसी पक्षकार पर उनका प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। इससे वाद की बहुलता रूकेगी। ऐसी स्थिति में वादी को पुनः नवीन वाद दायर करने की अनुमति के साथ वापिस किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

**आदेश**

वादी का वाद उसकी याचना पर नियमानुसार वापिस किया जाता है। वादी को इससे सम्बन्धित पुनः नवीन वाद दायर करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफतर हो।

(रुचि भाटी)
सिविल जज जू०डि०/जे०एम०
अनूपशहर, बुलन्दशहर।